



एरोड्रोम सुरक्षा विभाग, प.क्षे.
DEPT. OF AERODROME SAFEGUARDING

अंतरकार्यलय टिपणी / INTER OFFICE NOTE

संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./प.क्षे./ डी.ओ.ए.एस./आरटीआई/केस -210/2025 /35 दिनांक : 29/05/2025

विषय: श्री श्रीधर सदाशिव धनावडे द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के संदर्भ में।


संदर्भ: (1) PIO, WR email dated 28 May 2025 13:20
(2) RTI application Case No.210/25 dated 22/05/2025.

मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निर्णय के लिए लंबित है, इसलिए आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (एच) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि यह आशंका है कि जानकारी का खुलासा करने से एएआई के हित प्रभावित होंगे।

The matter is sub judice and is pending for adjudication, therefore information sought by the applicant cannot be provided under Section 8(1) (h) of RTI Act 2005, as it is apprehended that revealing the information will impact AAI's interests.

प्रमोद के. सिन्हा
(प्रमोद के. सिन्हा)
उप महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे.
एरोड्रोम सेफगार्डिंग विभाग, प.क्षे.
कृते महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे. एवं डीमड पी०आय०ओ०

[Through: GM (ATM) WR - Deemed PIO]


30/5/2025
ok by GM(ATM-WR)